

## विचार बिन्दु

अपनी करनी कभी निष्फल नहीं जाती। -कबीर

## राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय सेवा अपील अधिकरण की आवश्यकता

राजस्थान में न्याय व्यवस्था एक विचित्र विरोधाभास प्रस्तुत करती है। एक ओर राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए 1 जुलाई 1976 को स्थापित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षक और कर्मचारी आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए वर्षों तक उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने को विवश हैं।

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत गठित इस अधिकरण ने सेवा विवादों-जैसे वेतन निर्धारण, पदोन्नति, वरिष्ठता और पेंशन-के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह न केवल उच्च न्यायालय के बोझ को कम करता है, बल्कि कर्मचारियों को अपेक्षाकृत सस्ता और शीघ्र न्याय भी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2022 में लगभग 7000 प्रकरण लंबित होने के बावजूद, मई 2023 में जोधपुर में स्थायी पीठ की स्थापना यह दर्शाती है कि सरकार आवश्यकता के अनुसार संस्थागत समाधान विकसित करने में सक्षम है।

इसके विपरीत, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई समर्पित व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति मात्र प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि एक गहरी नीतिगत असमानता का संकेत है। प्रश्न उठता है-क्या विश्वविद्यालय कर्मी राज्य व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? क्या उनके सेवा विवाद कम महत्वपूर्ण हैं?

राजस्थान में न्याय व्यवस्था का एक विचित्र और चिंताजनक विरोधाभास सामने आता है। एक ओर राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के समाधान के लिए 1976 से एक सशक्त और समर्पित मंच राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षक और कर्मचारी आज भी अपने बुनियादी सेवा अधिकारों के लिए वर्षों तक उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हैं।

यह स्थिति केवल प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि एक गंभीर नीतिगत असमानता का उदाहरण है। प्रश्न उठता है कि क्या विश्वविद्यालय कर्मी राज्य व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? क्या उनके सेवा विवाद कम महत्वपूर्ण हैं? या फिर उनकी पीड़ा शासन-प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल ही नहीं है?

राजस्थान के 25 से अधिक विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों कर्मचारी-चाहे वे शिक्षक हों या अशिक्षक-पदोन्नति, वेतन निर्धारण, वरिष्ठता और पेंशन जैसे मामलों में न्याय के लिए वर्षों तक भटकते रहते हैं। अनेक मामलों में तो यह विडंबना देखने को मिलती है कि कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनका मामला अदालत में लंबित ही रहता है। पेंशन जैसे जीवन-निर्वाह के मूल अधिकार के लिए भी उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है।

स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पेंशनरों का मामला एक दशक से अधिक समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के पेंशनरों के कई प्रकरण पाँच वर्षों से लंबित हैं। यह केवल कुछ उदाहरण हैं; वास्तविकता यह है कि ऐसे सैकड़ों मामलों राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्षों से अटक पड़े हैं।

उच्च न्यायालय की अपनी सीमाएँ हैं। वह पहले से ही आपराधिक, दीवानी और संवैधानिक मामलों के अत्यधिक दबाव में कार्य कर रहा है। सेवा संबंधी मामलों अत्यंत तकनीकी होते हैं, जिनमें सेवा नियमों, विश्वविद्यालय अधिनियमों और यूजीसी के विनियमों की गहन समझ आवश्यक होती है। ऐसे में यह अपेक्षा करना कि उच्च न्यायालय इन मामलों का त्वरित और विशेषज्ञतापूर्ण निस्तारण करेगा, व्यावहारिक नहीं है।

यही कारण है कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक पृथक अधिकरण की व्यवस्था की थी। इस अधिकरण ने पिछले लगभग पाँच दशकों में यह सिद्ध कर दिया है कि विशेषीकृत मंच न्याय को तेज, सस्ता और प्रभावी बना सकता है। वर्ष 2022 में भी इसके समक्ष हजारों मामलों लंबित थे, जिसके समाधान हेतु 2023 में जोधपुर में स्थायी पीठ की स्थापना की गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर संस्थागत समाधान विकसित कर सकती है।

फिर प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय कर्मियों को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है? यह केवल न्याय में देरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि न्याय से वंचित करने की स्थिति है। न्याय में देरी, अन्याय के समान है-यह उचित विश्वविद्यालय कर्मियों की स्थिति पर पूरी तरह लागू होती है। जब किसी सहायक प्रोफेसर का पदोन्नति मामला आठ-दस वर्षों तक लंबित रहता है, तो उसका पूरा कैरियर प्रभावित होता है। जब किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन वर्षों तक अटक रही है, तो यह उसके सम्मानजनक जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

इस समस्या का समाधान स्पष्ट और व्यावहारिक है-राजस्थान में विश्वविद्यालय सेवा अपील अधिकरण की स्थापना। यह अधिकरण विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करेगा, जहाँ उनके सेवा संबंधी विवादों का त्वरित और विशेषज्ञतापूर्ण निस्तारण हो सकेगा।

ऐसे अधिकरण में शिक्षा प्रशासन और सेवा नियमों के जानकार विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए, जो विश्वविद्यालयों की जटिल संरचना और नियमों को भली-भाँति समझते हों। इसके साथ ही, मामलों के निस्तारण के लिए एक निश्चित समय-सीमा-जैसे 180 दिन-निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि वर्षों तक लंबित रहने की समस्या समाप्त हो सके।

इस अधिकरण की क्षेत्रीय पीठें जयपुर के साथ-साथ जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं। इससे कर्मचारियों को अपने ही क्षेत्र में सुलभ और किफायती न्याय मिल सकेगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय तक पहुँचाना न केवल महंगा है, बल्कि समय और संसाधनों की दृष्टि से भी कठिन है।

इस पहल का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि उच्च न्यायालय पर बढ़ते बोझ में कमी आएगी। सेवा संबंधी सैकड़ों मामलों अधिकरण में स्थानांतरित होने से उच्च न्यायालय जटिल संवैधानिक और जनहित के मामलों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

आज जब सरकार ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ़ लिविंग की बात करती है, तब ईज ऑफ़ जिस्टिस को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह केवल आम नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक है, जो समाज के बौद्धिक और नैतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो वर्ग समाज को दिशा देने का कार्य करता है, वहीं अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करता है। यह स्थिति न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

राज्य सरकार को इस दिशा में शीघ्र और ठोस कदम उठाने चाहिए। विश्वविद्यालय सेवा अपील अधिकरण की स्थापना की घोषणा एक ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य पहल होगी। इससे न केवल हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि शासन की न्यायिक संवेदनशीलता भी प्रदर्शित होगी।

अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय कर्मियों को भी वही अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, जो राज्य के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। न्याय में समानता लोकतंत्र की मूल भावना है, और इस सिद्धांत से किसी भी वर्ग को वंचित नहीं किया जा सकता। यदि सरकार वास्तव में न्यायपूर्ण और समावेशी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है, तो उसे इस लंबे समय से लंबित मांग पर तत्काल निर्णय लेना होगा। अन्यथा, विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए तारीख पर तारीख को यह अंतहीन प्रतीक्षा यूँ ही जारी रहेगी-और न्याय केवल एक दूर का सपना बनकर रह जाएगा।

—अतिथि सम्पादक,  
डा. पी. सी. कंठालिया,  
पूर्व प्रोफेसर एवं मुख्या प्रुदा वैज्ञानिक  
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

## विकसित राजस्थान @ 2047: एक दूरदर्शी, बहुआयामी और रूपांतरणकारी विकास दृष्टि



सी. पी. मण्डावरिया

राजस्थान अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक परंपराओं, अद्वितीय स्थापत्य वैभव और समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलता के कारण वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठित है। वर्तमान समय राज्य के लिए एक निर्णायक संक्रमण-काल है, जहाँ विकास की केवल मात्रात्मक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर गुणात्मक परिष्कार और दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थायित्व सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित विकसित राजस्थान @2047 विजन दस्तावेज इसी व्यापक संकल्पना को एक ठोस रणनीतिक दिशा प्रदान करता है। इसका महात्वाकांक्षी उद्देश्य राजस्थान को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की विशाल अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना तथा उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से नागरिकों की औसत जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष या उससे अधिक तक पहुँचाना है। राजिगंज राजस्थान की अवधारणा के माध्यम से राज्य एक सुदृढ़ निवेश-अनुकूल पारिस्थितिकी और पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। यह विजन केवल आर्थिक लक्ष्यों का समूह नहीं है, बल्कि प्रत्येक राजस्थानी के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन लाने का एक पवित्र संकल्प है।

आर्थिक पुनर्संरचना और 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य :- राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक संसाधन-आधारित मॉडल की सीमाओं से बाहर निकालकर ज्ञान-संचालित और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समर्थित औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तित करना इस विजन का मुख्य मूलाधार है। राज्य को उत्तर भारत के अठगणी मैनुफैक्चरिंग पटल या लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक गलियारों, निर्यात-उन्मुख इकाइयों और सुदृढ़ डिजिटल व्यापार

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

ऊर्जा-परिवर्तन :- हरित भविष्य की आधारशिला :-राजस्थान अपनी अपार सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के कारण भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक अग्रणी साक्षी के रूप में उभरा है। हरित हाइड्रोजन, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्मार्ट-ग्रिड आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राज्य को नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आठसर किया जा रहा है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्रों के रूप में विकसित करना ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन दोनों ही दृष्टिकोणों से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा आधारित यह औद्योगिक विस्तार न केवल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में स्वच्छ निवेश के नए द्वार खोलकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय शुद्धता भी सुनिश्चित करेगा।

मानव पूंजी और सामाजिक सशक्तिकरण :-किसी भी विकसित और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल आधार उसकी मानव पूंजी होती है। राज्य की शिक्षा प्रणाली को आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान उन्मुख दृष्टिकोण और वैश्विक तकनीकी दक्षता पर आधारित बनाना आज की महती आवश्यकता है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली मेडिसिन सेवासों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार से औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का लक्ष्य

जल-सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन :-रेगिस्तानी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राजस्थान के लिए जल प्रबंधन केवल एक नीतिगत विषय नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त आवश्यकता है। रामजल सेतु परियोजना और सुष्म सिंचाई प्रणालियों का व्यापक क्षेत्रीय जल-असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक अत्यंत निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है। पारंपरिक वर्षा

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

ऊर्जा-परिवर्तन :- हरित भविष्य की आधारशिला :-राजस्थान अपनी अपार सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के कारण भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक अग्रणी साक्षी के रूप में उभरा है। हरित हाइड्रोजन, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्मार्ट-ग्रिड आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राज्य को नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आठसर किया जा रहा है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्रों के रूप में विकसित करना ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन दोनों ही दृष्टिकोणों से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा आधारित यह औद्योगिक विस्तार न केवल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में स्वच्छ निवेश के नए द्वार खोलकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय शुद्धता भी सुनिश्चित करेगा।

मानव पूंजी और सामाजिक सशक्तिकरण :-किसी भी विकसित और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल आधार उसकी मानव पूंजी होती है। राज्य की शिक्षा प्रणाली को आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान उन्मुख दृष्टिकोण और वैश्विक तकनीकी दक्षता पर आधारित बनाना आज की महती आवश्यकता है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली मेडिसिन सेवासों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार से औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का लक्ष्य

जल-सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन :-रेगिस्तानी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राजस्थान के लिए जल प्रबंधन केवल एक नीतिगत विषय नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त आवश्यकता है। रामजल सेतु परियोजना और सुष्म सिंचाई प्रणालियों का व्यापक क्षेत्रीय जल-असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक अत्यंत निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है। पारंपरिक वर्षा

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

ऊर्जा-परिवर्तन :- हरित भविष्य की आधारशिला :-राजस्थान अपनी अपार सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के कारण भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक अग्रणी साक्षी के रूप में उभरा है। हरित हाइड्रोजन, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्मार्ट-ग्रिड आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राज्य को नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आठसर किया जा रहा है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्रों के रूप में विकसित करना ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन दोनों ही दृष्टिकोणों से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा आधारित यह औद्योगिक विस्तार न केवल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में स्वच्छ निवेश के नए द्वार खोलकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय शुद्धता भी सुनिश्चित करेगा।

मानव पूंजी और सामाजिक सशक्तिकरण :-किसी भी विकसित और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल आधार उसकी मानव पूंजी होती है। राज्य की शिक्षा प्रणाली को आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान उन्मुख दृष्टिकोण और वैश्विक तकनीकी दक्षता पर आधारित बनाना आज की महती आवश्यकता है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली मेडिसिन सेवासों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार से औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का लक्ष्य

जल-सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन :-रेगिस्तानी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राजस्थान के लिए जल प्रबंधन केवल एक नीतिगत विषय नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त आवश्यकता है। रामजल सेतु परियोजना और सुष्म सिंचाई प्रणालियों का व्यापक क्षेत्रीय जल-असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक अत्यंत निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है। पारंपरिक वर्षा

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

## डिजिटल व एआई युग में लेखकों के कॉपीराइट संरक्षण की चुनौती

### विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस विशेष.....



विकास आसावत

किताबें एक ऐसी प्रकाश पुंज की तरह हैं जो हर नए पृष्ठ के साथ हमें नए व्यक्तियों, संस्कृतियों और विचारों से अवगत कराती हैं। हर वर्ष 23 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाता है। यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया यह वार्षिक उत्सव, हमारी दुनिया को आकार देने में पुस्तकों द्वारा निभाई जाने वाली अमूल्य भूमिका और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को याद

दिलाता है। किताबें महज पत्रे नहीं हैं-वे ज्ञान, कल्पना और नवाचार के द्वार हैं। नियमित पाठन से संज्ञानात्मक क्षमताएं, शब्दावली में अर्थ, संवेदना, समीक्षात्मक चिंतन कौशल, समस्या-समाधान क्षमता और अधिक रचनात्मकता का विकास होता है। हमें यह याद रखना होगा कि आज विश्व पुस्तक दिवस है के साथ साथ कॉपीराइट दिवस भी है। इस अधिकार से लेखकों को उनकी रचना के प्रकाशन, अनुवाद, रूपांतरण, या अन्य कोई आर्थिक गतिविधि समबन्धित निर्णय लेने की शक्ति मिलती है।

ई-पुस्तकें और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने साहित्य तक पहुँच को उल्लेखनीय रूप से लोकतांत्रिक बना दिया है और अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर महानगर तक पाठक अपना प्रसिद्ध साहित्य, दुर्लभ पुस्तकें, मूल पांडुलिपियाँ, ऐतिहासिक अभिलेखागार, और अन्य संग्रह को अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकता है। डिजिटल एडिशनस भौतिक स्टोरेज, परिवहन और उपलब्धता की बाधाओं को कम करने के साथ ही फॉट आकार और खोज क्षमताओं जैसे फीचर्स प्रदान

करते हैं व पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कागज उत्पादन और वितरण का एक भरोसेमंद विकल्प प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल रचनाओं को लेखक की अनुमति के बिना आसानी से वृद्ध संख्या में कॉपी और वितरित किया जा सकता है। वहीं एआई द्वारा निर्मित रचना के लेखक और उसके कॉपीराइट अधिकार को निर्धारित करना कठिन है। एआई द्वारा निर्मित सामग्री पर कॉपीराइट नहीं हो सकता जब तक कि आपने स्पष्ट रूप से रचनात्मक योगदान न दिया हो। वहीं, एआई के उपयोग से नकली सामग्री बनाना या संरक्षित रचनाओं की धार्यरी जैसे कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है।

समाधान की बात करे तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग, सदस्यता मॉडल, स्वयंक्रियण ऑडि अच्वे विकल्प हैं जिसके लिए पाठक भी सामग्री तक सुविधाजनक और कानूनी पहुँच के लिए भुगतान करने को तैयार है। वहीं युवाओं और अन्य पाठकों में भी कॉपीराइट डेवटेंट को सम्मान करने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए जागरूकता अभियान को जरूरत है ताकि उल्लंघन को कम किया जा सके। पुस्तक समेत किसी भी कार्य का

कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन से आपको अपने कार्य के निर्धारण व निर्धारण तिथि से संबंधित एक वैधानिक प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाता है। वर्तमान में कॉपीराइट जुरिस्प्रूडेंस "मांड्रिकम ऑफ़ क्रिएटिविटी" पे आधारित है व कार्य के कॉपीराइट पात्रता के लिए न्यूनतम रचनात्मकता का होने आवश्यक है, अतः किसी भी कृति की अभिव्यक्ति में एक विशिष्ट शैली का आभास हो व कॉपीराइट अधिकार को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे आते है व कॉपीराइट उल्लंघन के अन्वय में कार्य के कॉपीराइट मालिक को अनपेक्षित रूप से कॉपीराइट अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे आते है व कॉपीराइट उल्लंघन के अन्वय में कार्य के कॉपीराइट मालिक को अनपेक्षित रूप से कॉपीराइट अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे आते है व कॉपीराइट उल्लंघन के अन्वय में कार्य के कॉपीराइट मालिक को अनपेक्षित रूप से कॉपीराइट अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे आते है व कॉपीराइट उल्लंघन के अन्वय में कार्य के कॉपीराइट मालिक को अनपेक्षित रूप से कॉपीराइट अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे आते है व कॉपीराइट उल्लंघन के अन्वय में कार्य के कॉपीराइट मालिक को अनपेक्षित रूप से कॉपीराइट अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे आते है व कॉपीराइट उल्लंघन के अन्वय में कार्य के कॉपीराइट मालिक को अनपेक्षित रूप से कॉपीराइट अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे आते है व कॉपीराइट उल्लंघन के अन्वय में कार्य के कॉपीराइट मालिक को अनपेक्षित रूप से कॉपीराइट अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे अच्वे आते है व कॉपीराइट उल्लंघन के अन्वय में कार्य के कॉपीराइट मालिक को अनपेक्षित रूप से कॉपीराइट अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

समावेशन की दिशा में मील का पत्थर स्थापित होगा। जब समाज का प्रत्येक वर्ग स्वस्थ और शिक्षित होगा, तभी विकास की गति को वांछित तीव्रता प्राप्त हो सकेगी।

सुशासन और डिजिटल पारदर्शिता :- विकसित राजस्थान 2047 प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और नैतिकता को विकास प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व मानता है। डेटा संचालित निर्णय प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नागरिक सेवा वितरण और विभिन्न ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों के पूर्ण एकीकरण से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा। सामाजिक स्तर पर संवेधानिक मूल्यों, विश्वेश्वर समता, बंधुत्व और न्याय को व्यवहारिक रूप में जन-जन तक पहुंचाना राज्य की नैतिक पुनर्रचना का मुख्य आधार बनेगा। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत को यथार्थ में बदलते हुए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहाँ शासन नागरिकों के द्वार पर सुलभ हो और सेवा वितरण की प्रक्रिया मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हो।

सामाजिक रूपांतरण: मानवीय विकास की दिशा :- आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक चेतना और वैचारिक परिवर्तन का विस्तार होना भी अनिवार्य है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं और जातिगत संकीर्णता का पूर्ण उन्मूलन वास्तविक सामाजिक प्रगति की पहली पूर्वशर्त है। राजस्थान की महान संत परंपरा और सुधारवादी चिंतन से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनी जीवन पद्धति का अभिन्न अंग बनाना होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करते हुए जल संरक्षण, स्वच्छता और सर्वजनिक संघर्षों की रक्षा को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नागरिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को नीति-निर्माण की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका प्रदान करना राज्य के मानव विकास सूचकांक को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

सामुदायिक सहभागिता और उद्यमिता की संस्कृति :- उद्यमिता की एक नई और प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देकर समाज को केवल सरकारी निर्भरता के भाव से बाहर निकालना होगा। सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय नवाचार मंचों के माध्यम से

सामुहिक आर्थिक सहभागिता को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे विकास की मुख्यधारा का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। विकसित राजस्थान @ 2047 केवल आर्थिक विस्तार का कोई शुष्क दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक समेकित सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण का विस्तृत रोडमैप है। इसका अंतिम लक्ष्य केवल ऊंचे सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों तक सीमित रहना नहीं है, अपितु एक अत्यंत न्यायपूर्ण, समतामूलक और संवेदनशील समाज को पुनर्स्थापना करना है।

उपसंहार: साझा भविष्य की संकल्पना :- जब राज्य की दूरदर्शी नीतियाँ, प्रशासनिक पारदर्शिता और सक्रिय नागरिक सहभागिता एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य में समाहित होंगी, तब 2047 का राजस्थान वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी, पर्यावरणीय रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से समावेशी प्रदेश के रूप में अपनी अमिट पहचान स्थापित करेगा। यह स्वर्णमयी दृष्टि तभी पूर्णतः साकार होगी जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को केवल एक लाभार्थी की मानसिकता से ऊपर उठाकर विकास यात्रा में एक सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार की भूमिका निभाएगा।

सामूहिक उत्तरदायित्व, अद्वैत नैतिक प्रतिबद्धता और नवोन्मेषी सोच के समन्वय से ही राजस्थान अपने गौरवशाली अतीत और आधुनिक युग की आकांक्षाओं के मध्य एक संतुलित, स्थायी और संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक भविष्य का निर्माण कर सकेगा। वर्तमान में राजस्थान देश का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर चुकी है। वर्ष 2028-29 तक 350 अरब डॉलर और अंततः 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक अत्यंत इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य है। यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस का सिद्धांत केवल एक नारा न रहकर एक जीवंत यथार्थ में परिवर्तित हो जाता है। राजिगंज राजस्थान 2024 के सफल आयोजन के अंतर्गत लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के निवेशों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 8.15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ धरातल पर क्रियान्वित होने की प्रक्रिया में हैं।

सी. पी. मण्डावरिया,  
सं